Regarding Bharatmala Project

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत (कोरबा) : सभापति महोदया, धन्यवाद ।

महोदया, मैं भारतमाला के विषय में बोलना चाहती हूं । छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा जिले में भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है ।

छत्तीसगढ़ विधान सभा में भी 12 मार्च 2025 को इस विषय पर चर्चा हुई और बहुत अच्छी चर्चा हुई । राज्य सरकार ने आर्थिक अनियमितताएं तथा आपराधिक कृत्यों का होना भी स्वीकार किया है । इस भारतमाला परियोजना में भारत सरकार की धनराशि का व्यय हो रहा है, इसलिए प्रतिपक्ष ने यह कहा है कि सी.बी.आई. से इसकी जांच करायी जाए । लेकिन, वहां की राज्य सरकार ने इसको अमान्य किया है और राजस्व कमिश्नर से जांच कराने को कहा है । उसी दिन शाम को छत्तीसगढ़ के मंत्रिपरिषद ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने का भी निर्णय लिया । चूंकि यह मामला बहुत ही गंभीर है और केन्द्र का है । यह 1,147 करोड़ रूपये की आर्थिक क्षति है और केन्द्र सरकार के साथ आपराधिक षडयंत्र करने मामला है । इसलिए केवल सी.बी.आई. से ही इस अपराध की जांच करायी जाए, ऐसी मेरी मांग है ।